भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2064
29.11.2019 को उत्तर के लिए

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में संशोधन

2064. श्री फिरोज़ वरुण गांधी :
प्रो. अच्युतानंद सामंत :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में संशोधन लाने का विचार है, क्योंकि वर्तमान अधिनियम में प्रदूषण में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य खतरे के महत्व का उल्लेख अथवा प्राथमिकता तय नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कानून में संशोधन करने या एक नया विधान अधिनियमित करने के लिए तैयार नहीं है, जो केंद्रीय पर्यावरण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को इसका उल्लंघन करने पर कठोर दंड लगाने या उद्योगों को बेहतर पर्यावरणीय मानकों हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सशक्त बनाता हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन हेतु 1981 में वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम अधिनियमित किया गया था। वायु (प्रदूषण, निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 2 (क) के अनुसार, 'वायु प्रदूषक' को वातावरण में मौजूद किसी ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ [जिसमें ध्वनि भी शामिल है] के ऐसे सांद्रण के रूप में परिभाषित किया गया है जो मनुष्यों या अन्य सजीव प्राणियों या पौधों या संपत्ति या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है।

(ग) और (घ) सीपीसीबी और एसपीसीबी को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम के तहत और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत किसी भी उद्योग प्रचालन या प्रक्रिया समापन, निषेध और विनियमन, या बिजली या जल या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को बंद या विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने हेतु शक्ति संपन्न बनाया गया है।

*****